

उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

बगोदर अंचल अन्तर्गत प्रधान मंत्री उर्जा गंगा परियोजना अन्तर्गत जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाईपलाईन विछाने हेतु Deemed Forest भूमि जंगल-झाड़ी जंगल सखुआ इत्यादि के सम्बंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी सखुआ इत्यादि) जो निम्नवत है:-

क्र०	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा (हे० में)	
1	गिरिडीह	बगोदर	पोखरिया	256	80	2301	0.7890	
2					80	2304	0.0480	
3			बगोदर	107	407	6685	0.2140	
4					407	7033	0.1538	
5			अटका	139	403	61	0.7320	
6					403	5218	0.0120	
7					403	5239	0.3720	
8					403	5281	0.4450	
9					403	5277	0.5660	
10					403	7655	0.5950	
11					403	7656	0.0640	
12			सोनतुरपी	128	110	11	0.0280	
13					110	71	0.1370	
14					110	82	0.2910	
15					110	83	0.0770	
16			तारानारी	255	01	02	0.1780	
17					01	283	0.1380	
18					01	624	0.3360	
20					01	739	0.1170	
21					01	755	0.0400	
22			पोचरी	253	176	147	0.1810	
24					176	201	0.2630	
25			तिरला	249	86	33	0.0280	
26					86	3726	0.1250	
27					86	3761	0.1010	
28					86	3762	0.0410	
29					86	3785	0.2500	
30			हेसला	104	90	1323	0.6030	
31					90	1371	0.2060	
32					90	1392	0.3120	
33					90	1673	0.1090	
34					90	1722	0.0246	
35					90	2227	0.3720	
कुल रकबा=						7.9484		


किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकबा 7.9484 हेक्टर में सन्नहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।



उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 1268 रा. दिनांक 20/7/2018

- प्रतिलिपि:- उप महाप्रबन्धक (निर्माण) गेल (इण्डिया) लिमिटेड मेकॉन प्रधान कार्यालय परिसर डोरण्डा राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर-सरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित की जाय।


उपायुक्त, गिरिडीह।